लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(आठवां सत्र)

6th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

(खंड 28 में अंक 1 से 6 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 6, सोमवार, 16 जुलाई, 1979/25 आषाढ़, 1901 (शक)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

(एक) प्रधान मंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र

(दो) राष्ट्रपति का पत्र जिसमें उन्होंने प्रधान मंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र स्वीकार किया है।

लोक सभा

सोमवार, 16 जुलाई, 1979/25 आषाढ़ 1901 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : सचिव। (**व्यवधान**)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

(एक) प्रधान मंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र; और

(दो) राष्ट्रपति का पत्र जिसमें उन्होंने प्रधान मंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र स्वीकार किया है ।

सचिव : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया दिनांक 15 जुलाई, 1979 का पत्र जिसमें उन्होंने अपना तथा अपने मंत्रिपरिषद् का त्यागपत्र दिया।

(2) राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री को भेजा गया दिनांक 15 जुलाई, 1979 का पत्र जिसमें उन्होंने उनका तथा मंत्रिपरिषद् में उनके सहयोगियों का त्यागपत्र स्वीकार किया और उनसे नई सरकार बनने तक कार्य करते रहने को कहा।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल०टी० 4608/79]।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (**व्यवधान**) जब प्रधान मंत्री के विरुद्ध सभा के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन है तो भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने त्याग पत्र देकर इस सभा की उपेक्षा की है। उन्होंने प्रधान मंत्री पद से तो त्यागपत्र दे दिया है किन्तु जनता पार्टी संसदीय दल के नेता पद से त्यागपत्र नहीं दिया है और उन्होंने पुनः प्रधान मंत्री बनने का दावा किया है। इस तरह से लोक सभा की अवहेलना की गयी है ···(**व्यवधान**) भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने लोक सभा की अवहेलना करने का प्रयास किया है और इस प्रकार सभा में अविश्वास प्रस्ताव में पराजय से अपने को बचा लिया है। यह निसन्देह सभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन तथा सभा का अवमान है। हमारी मांग है कि सभा प्रधान मंत्री के विरुद्ध पेश किये गए विशेषाधिकार प्रस्ताव पर विचार करे। आज उन्होंने बहुमत खो दिया है और फिर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। यह सभा के विशेषाधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। (**व्यवधान**)

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागोआ) : श्रीमान् मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 75 के उप-खंड (3) की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें यह उपबन्ध है कि मंत्रिपरिषद् और विशेष रूप से प्रधान मंत्री सामूहिक रूप से सभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सभी बड़े-बड़े निर्णय लेने में सभा को अवश्य विश्वास में लिया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री जो सर्वाधिक गंभीर निर्णय ले सकता है, वह उसके त्यागपत्र के सम्बन्ध में होता है। यह निश्चित रूप से सभा का अवमान है। (**व्यवधान**) प्रधान मंत्री को इस आशय का वक्तव्य देना चाहिए कि उन्होंने त्याग-पत्र क्यों दिया। उन्हें सभा को विश्वास में लेना चाहिए। सभा पटल पर केवल मात्र एक पत्र रख देना ही पर्याप्त नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 75(3) में निहित सिद्धांत के विपरीत है।

इसके अतिरिक्त जैसा कि पहले कहा जा चुका है प्रधान मंत्री ने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, जिसके बारे में मैं सूचना दे चुका हूं। इस तरह से त्याग-पत्र देकर प्रधान मंत्री ने सभा की अवहेलना की है। उन्होंने सभा में पराजय से बचने का प्रयास किया है। (**व्यवधान**) देसाई सरकार का यह अभिघाती अनुभव पूरा हो चुका है। (**व्यवधान**)

प्रो० पी०जी० मावलंकर (गांधी नगर) : श्रीमान् सभा की यह बैठक अत्यधिक असाधारण स्थिति में हो रही है। समझ में नहीं आता कि जब सचिव ने दो पत्र सभा पटल पर रख दिए हैं तो उसके बाद अनुपूरक कार्य सूची के अनुसार किस तरह कोई व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। गत कई वर्षों में इन प्रक्रिया नियमों को कई बार पढ़ने के पश्चात् मैं आपको बता दूं कि इस मामले में व्यवस्था का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता। सभा यथा संभव शीघ्र स्थगित की जानी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री सौगत राय : प्रक्रिया नियमों के नियम 222 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है · · · (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के संदेश को ध्यान में रखते हुए · · · (**व्यवधान**) सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई ।

MGIPRRND—13 LSS/79—CR. VI—11-9-79—210